प्रेस–नोट

दिनांक 08.09.2016

आज दिनांक 08.09.2016 को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री टी0 वेंकटेश द्वारा मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गयी। जिसमें अर्हता तिथि 01.01.2017 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।

1. इसमें यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 06.09.2016 को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की एक बैठक आयोजित की गयी एवं सभी दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची को स्वच्छ एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

2. दिनांक–09.09.2016 को प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा करके उन्हें इस पुनरीक्षण अभियान के बारे में समुचित निर्देशों से पूर्ण रूपेण अवगत कराया जाएगा। इसके साथ–साथ समस्त ईआरओ/एईआरओ को इस हेतु प्रशिक्षण भी वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिनांक 09.09.2016 को दिया जाएगा।

3. यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 से पूर्व का अंतिम विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में जो भारतीय नागरिक एवं उ0प्र0 से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतया निवास कर रहे हो एवं 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हों अथवा 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, से दावें और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक–15.09.2016 से 31.10.2016 आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है।

4. इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ एवं स्वस्थ मतदाता सूची तैयार करना, समस्त अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना, मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित किया जाना, महिला एवं युवा मतदाताओं के नामों का पंजीकरण किया जाना, मतदाता सूची में विद्यमान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को शुद्ध किया जाना एवं दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है।

5. वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13.86 करोड़ है। पुनरीक्षण–2016 के पश्चात हुए निरन्तर पुनरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूची में विद्यमान मृत/रिपीटेड/शिफ्टेड के रूप में दर्ज 33.01 लाख इन्ट्रीज को अपमार्जित किया गया तथा 45 लाख से अधिक मतदाताओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को संशोधित किया गया।

6. इस अभियान में महिला मतदाताओं एवं युवा मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7. इस पुनरीक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आलेख्य प्रकाशन अवधि दिनांक 15 सितम्बर, 2016 से 31 अक्टूबर 2016 के मध्य दिनांक 18 सितम्बर, 25 सितम्बर, 09 अक्टूबर तथा 23 अक्टूबर, 2016 की विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गयी है जिसमें प्रदेश के समस्त मतदान केन्द्रों पर पूरे समय बूथ लेवल अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध रहेगें।

8. लगभग 33 लाख फोटोयुक्त रंगीन मतदाता पहचान पत्र मुद्रित हो गए हैं, जिसे जनपदों को उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त मुद्रित रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्रों के वितरण का कार्य चल रहा है।

9. जिलों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15.09.2016 से अपने जनपद की हेल्पलाइन क्रियाशील कर दें।

10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित कॉल सेण्टर/शुल्क रहित निर्वाचन हेल्पलाइन का नं0 1800–180–1950 है।

11. मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं (BMF) को सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (AMF) के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया है। इस विषय में सम्बन्धित विभागों को मतदेय स्थलों पर सुविधाएं सुनिश्चित कराये जाने हेतु एक बैठक कर निर्देशित कर दिया गया है।

12. इस कार्यालय की बेवसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in एवं भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in के माध्यम से ऑनलाइन निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं।

13. मतदाता सूची को ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन आदि की बैठकों में दिनांक 20 सितम्बर, 30 सितम्बर, 19 अक्टूबर एवं 16 नवम्बर 2016 को पढ़ा जाएगा। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 18 सितम्बर, 25 सितम्बर, 09 अक्टूबर तथा 23 अक्टूबर, 2016 को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित हैं।

उक्त बैठक में इस कार्यालय के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री अनिल गर्ग, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती अमृता सोनी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री रमेश चन्द्र राय, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री रत्नेश सिंह एवं विशेष कार्याधिकारी श्री अतीक अहमद सिद्दीकी भी उपस्थित थे।

उक्त बैठक, मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करते हुए धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।